59

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

1– हरप्रसाद तनय बखत सिंह लोधी, निग –1846– I –16 1846

2– लाखन सिंह पिता हरप्रसाद लोधी,

निबासी ग्राम खेजरा खुर्द, तहसील हटा जिला दमोह म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

जयकुमार जैन बल्द नत्थू उर्फ मुकुंदीलाल जैन ,

निबासी गौरीशंकर वार्ड हटा , तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0

..... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हटा जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 36/अ–12/2007 08 में किये गये सीमांकन दिनांक 29/03/2009 से परिवेदित होकर कर रहा है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय हटा, तहसील हटा, जिला दमोह को इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 28/2 रकवा 0.57 हैक्टेयर एवं 31 रकवा 0.25 हैक्टेयर का सीमांकन करा दिया जाबे। जिसके आधार पर दिनांक 29/03/2009 को विधि एवं प्रकिया के बिपरीत रानि द्वारा सीमांकन किया गया, जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

3– यह कि उपरोक्त सीमांकन करने से पूर्व विधिवत रूप से सभी सीमांत कृषकों को सूचनापत्र जारी करके विधिवत रूप से तामील नहीं कराये गये हैं, सीमांकन के मात्र 02 दिबस पूर्व ही सीमांकन के सूचनापत्र जारी किये गये हैं, सीमांकन के दौरान वाद भूमि पर लाखन सिंह का कब्जा बताया गया है, किन्तु लाखन सिंह को सूचनापत्र जारी नहीं किया गया है, ना ही बाद में उसको तलब करके उसका पक्ष सुना गया है, उपरोक्त सीमांकन नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है।

(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1846-एक/2016 जिला दमोह हरप्रसाद विरूद्ध जयकुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2007-08 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 29-03-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 4.1.19 सदस्य	